न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 05/2016

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2016/00120

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 काला पुत्र मंगला		1 मगा पुत्र धर्मा
2 उमेदा पुत्र मंगला		2 वजा पुत्र धर्मा
3 खेमा पुत्र भीखा		3 रावता पुत्र धर्मा
4 चेला पुत्र भीखा		4 रतना पुत्र धर्मा
जातियान–मेघवाल, निवासीगण–		5 रूगनाथ पुत्र धर्मा
छजारा, तहसील–सांचौर		6 वाला पुत्र धर्मा
5 शंभुराम पुत्र नवलाराम		जातियान–कलबी, निवासीगण–छजारा
6 हनुमान पुत्र रूपाराम		7 तुलछा पुत्र जेठा
7 तुलसा पुत्र रूपाराम		8 केहरी पत्नी जेठा
8 प्रभु पुत्र मगनाराम		जातियान–कलबी, निवासीगण–
9 भीया पुत्र मगनाराम		छजारा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
10 चेला पुत्र जेठा		9 मूला पुत्र रामा
जातियान–जाट, निवासीगण–छजारा		10 रतना पुत्र रामा
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		11 विरमा पुत्र रामा
		12 नाथू पुत्र रामा
		13 कसूबी बैवा रूपा
		जातियान–जाट, निवासीगण–छजारा,
		तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
		14 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी
		तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 10.08.2016

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:09 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित, एक तरफा कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 17.01.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा छजारा, पटवार क्षैत्र भड़वल में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत के पुराना खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

नंबर 205 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ था जो धर्मा पुत्र नानजी कलबी के नाम दर्ज था, इसी प्रकार खसरा नंबर 207 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी दोयम जो कुम्भा पुत्र आशा जाट के नाम दर्ज था व पुराना खसरा नंबर 206 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भीखा पुत्र डामरा, कौम–भांभी के नाम दर्ज था जिसके द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवसृजित खसरा नंबर 429 रकबा 0.27 हैक्टेयर के आया हुआ है, जिसका लगान प्रार्थीगण अदा करता आ रहा है सलंग्न जमाबंदी नक्शा पेश हैं प्रकरण में प्रार्थीगण का समान हित होने से एक दुसरे की पैरोकारी मंजूर है। द्वितीय सेटलमेंट के दौरान पुराने नक्शे जमाबंदी में दर्ज भूमि की किस्म व रकबे अनुसार नये जमाबंदी में व नक्शे में किस्म दर्ज करनी थी जो नही कर लिपिकीय भूल से पुराने खसरा नंबर 205, 206, 207 के नवसृजित खसरा नंबर 429 की किस्म बारानी दोयम होते हुए भी गेर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि का उपयोग मौके पर कभी भी रास्ता उपयोग में नहीं रहा है तथा उक्त भूमि का मोके पर रास्ते के रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। मौके पर उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के काश्त के रूप में उपयोग में आ रही है जो हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पीढ़ियों से खेती बाड़ी करते आ रहे है जिससे मौके पर उपयोग में आ रही भूमि व पुराने रेकर्ड में दर्ज किस्म अनुसार वर्तमान रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता जो लिपिकीय त्रुटि से लिखा गया है जो उक्त भूमि कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं रही। वास्तविक किस्म बारानी दोयम रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के हकदार होने से प्रार्थना–पत्र पेश है। उक्त लिपिकीय भूल की हमें कतई जानकारी नहीं रही तथा न ही हमने कभी रेकर्ड का पठन करवाया। अभी न्यायालय का नोटिस आया तो जमाबंदी की नकलें इत्यादि ली तो ज्ञात हुआ कि हमारे खाते में जमीन की किस्म मौके पर उपयोग में आ रही भिन्न किस्म व पुराने रेकर्ड से भिन्न किस्म गलत व लिपिकीय भूल से दर्ज कर दी जिस हेतु दुरूस्त करवाने का हकदार होने से एवं उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने योग्य होने से प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम छजारा के पुराना खसरा नंबर 205, 206, 207 किस्म बारानी दोयम से नवसृजित खसरा नंबर 429 रकबा 0.27 हैक्टेयर में दर्ज लिपिकीय भूल से गैर मुमकिन की जगह पुरानी रेकर्ड में दर्ज व मौके पर उपयोग में आ रही उपयोग अनुसार किस्म बारानी दोयम दुरूस्त करनें का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को बाद [illegible] किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] 14 [illegible] तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की एकपक्षीय बहस सु[illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा छजारा, पटवार क्षैत्र भड़वल में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत के पुराना खसरा नंबर 205 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ था जो

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

धर्मा पुत्र नानजी कलबी के नाम दर्ज था, इसी प्रकार खसरा नंबर 207 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी दोयम जो कुम्भा पुत्र आशा जाट के नाम दर्ज था व पुराना खसरा नंबर 206 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भीखा पुत्र डामरा, कौम–भांभी के नाम दर्ज था जिसके द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवसृजित खसरा नंबर 429 रकबा 0.27 हैक्टेयर के आया हुआ है, जिसका लगान प्रार्थीगण अदा करता आ रहा है अतः निवेदन है कि ग्राम छजारा के पुराना खसरा संख्या 205, 206, 207 किस्म बारानी दोयम से नवसृजित खसरा नंबर 429 रकबा 0.27 हैक्टेयर में दर्ज लिपिकीय भूल से गैर मुमकिन की जगह पुरानी रेकर्ड में दर्ज व मौके पर उपयोग में आ रही उपयोग अनुसार किस्म बारानी दोयम दुरूस्त करनें का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी बंदोबस्त प्रथम, नकल मिसल बंदोबस्त द्वितीय, नकल नक्शा नया, नकल नक्शा पुराना व नकल जमाबंदी संवत् 2069–2072 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराने खसरा संख्या 205, 206, 207 के नवीन सृजित खसरा संख्या 429 खतौनी बंदोबस्त एवं मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराने खसरा संख्या 205, 206, 207 में किस्म बारानी दोयम दर्ज थी तथा द्वितीय सेटलमेंट के दौरान उक्त पुराने खसरा संख्या 205, 206, 207 की किस्म बारानी दोयम की बजाय नवीन खसरा संख्या 429 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी गई अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तमाम दस्तावेजात् को आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचानुसार निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा छजारा के पुराने खसरा संख्या 205, 206, 207 के नवीन सृजित खसरा संख्या 429 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता की बजाय पुराने रेकर्ड में दर्ज अनुसार बारानी दोयम की ईन्द्राज दुरूस्ती की जावें। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.02.07 17:04:09 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी।
सांचौर